बिहार सरकार

कृषि विभाग

fufonk

l;qDr Ñf"k funs'kd&lg&fu;a=d] eki ,oa rkSy] fcgkj] iVuk dk dk;kZy;] Ñf"k ¼eki&rkSy½ foHkkx] jktkcktkj] iVukA

vYidkyhu fufonk vkea=.k lwpuk

निबंधित संवेदकों/ख्यातिप्राप्त फर्मों/कम्पनियों से निम्नलिखित सामग्रियों (माप–तौल उपकरणों) का क्रय करने हेतु मुहरबंद तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है जो दिनांक 12.03.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगां दिनांक 13.03.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में तकनीकी निविदा एवं दिनांक 13.03.2018 को वित्तीय निविदा, 4.00 बजे अपराहन में कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति तथा निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष, कृषि निदेशालय, बिहार, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में खोला जायेगां

100 iz[k.Mksa esa eki&rkSy midj.kksa dk LFkkiu grq midj.kksa dh lwph ,oa la[;kA

Øe laö	midj.k dh lwph	oxZ@Js.kh	bdkbZ&la[;k ¼izfr iz[k.M½	dqy la[;k
1	इलेक्टॉनिक तुला क्षमता 100 kg	वर्ग–III	01 अद्द	100 अद्द
2	लौह वाट क्षमता–20 kg	वणिज्यिक	04 अद्द	400 अद्द
3	लौह वाट क्षमता–10 kg	""	01 अद्द	100 अद्द
4	लौह वाट क्षमता–05 kg	""	01 अद्द	100 अद्द
5	लौह वाट क्षमता–02 kg	""	02 अद्द	200 अद्द
6	लौह वाट क्षमता–01kg	""	01 अद्द	100 अद्द
7	लौह वाट क्षमता–500 g	""	01 अद्द	100 अद्द
8	लौह वाट क्षमता–200 g	""	02 अद्द	200 अद्द
9	लौह वाट क्षमता–100 g	""	01 अद्द	100 अद्द
10	लौह वाट क्षमता–50 g	""	01 अद्द	100 अद्द
11	पीतल वाट क्षमता–20 g	""	02 अद्द	200 अद्द
12	पीतल वाट क्षमता–10 g	""	01 अद्द	100 अद्द
13	पीतल वाट क्षमता–05 g	""	01 अद्द	100 अद्द
14	पीतल वाट क्षमता–02g	""	02 अद्द	200 अद्द
15	पीतल वाट क्षमता–01g	""	01 अद्द	100 अद्द
16	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता–02l	""	01 अद्द	100 अद्द
17	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता–01l	""	01 अद्द	100 अद्द
18	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता–500ml	""	01 अद्द	100 अद्द
19	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता–200ml	""	01 अद्द	100 अद्द
20	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता–100ml	""	01 अद्द	100 अद्द
21	बेलनाकार धारिता मापक क्षमता–50ml	""	01 अद्द	100 अद्द
22	बेलनाकार धारिता मापक क्षमता–20ml	""	01 अद्द	100 अद्द
23	डीपींग टाईप बेलनकार धारिता मापक क्षमता–01l	""	01 अद्द	100 अद्द
24	डीपींग टाईप बेलनकार धारिता मापक क्षमता–500ml	""	01 अद्द	100 अद्द
25	डीपींग टाईप बेलनकार धारिता मापक क्षमता–200ml	""	01 अद्द	100 अद्द
26	डीपींग टाईप बेलनकार धारिता मापक क्षमता–100ml	""	01 अद्द	100 अद्द
27	डीपींग टाईप बेलनकार धारिता मापक क्षमता–50ml	""	01 अद्द	100 अद्द
28	डीपींग टाईप बेलनकार धारिता मापक क्षमता–20ml	""	01 अद्द	100 अद्द
29	लम्बाई मापक धातु मीटर –01m (मीटर)	""	01 अद्द	100 अद्द

ukV%&mijksDr lHkh eki&rkSy midj.kksa fof/kd eki foKku ¼lkekU;½ fu;ekoyh 2011 ,oa fof/kd eki foKku ¼,isDl ykQ ekMy½ fu;ekoyh 2011 ds vuq:i v{kj'k% ikyu lqfuf'pr djsaA

fo'ks"k 'kŸkZ

1. उपर्युक्त सभी माप–तौल उपकरणों को बिहार राज्य के 100 प्रखण्डों में आपूर्त्ति एवं स्थापन करना होगां
2. आपूर्त्ति की जाने वाली सामग्रियों (माप–तौल उपकरणों) का दर सभी करों सहित अंक एवं अक्षर में प्रविष्ट करना होगां
3. आपूर्त्ति किए जाने वाले माप–तौल उपकरणों का मॉडल एप्रुभल (Model Approval) उपभोक्ता मामले विभाग, निदेशक विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त रहना अनिवार्य हैं
4. दर प्रत्येक प्रखण्ड स्थल पर सामानों की ढुलाई के साथ प्रविष्ट करना होगां
5. आपूर्त्तिकर्त्ता, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से निर्गत अद्यतन अनुज्ञप्ति की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगां
6. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण पत्र, जी0 एस0 टी0 प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं सभी अद्यतन कागजात की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न तथा अपना वैध दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य होगां
7. आमंत्रित निविदा में दर्शाए गए वाट–माप उपकरणों के आपूर्त्ति हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कुल अधिकत्तम मूल्य 25,000.00 रू0 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) निर्धारित की गयी है
8. कार्योपरान्त कार्य की गुणवत्ता की सत्यापनोपरान्त राशि का भुगतान किया जाएगां
9. अधोहस्ताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये एक या सभी निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगां
10. निविदा के साथ अद्यतन आयकर विवरणी देना होगां
11. भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि की उपलब्धता एवं दर के अनुमोदन के पश्चात ही शुरू होगां
12. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि 50,000/– रू0 होगा, जो बैंक ड्राफ्ट, डाकघर बचत पासबुक या डाकघर में जमा प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्षीय टी0 डी0 अथवा बिहार राज्य अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र या किसान विकास पत्र (यु0 आर. रसीद के साथ) के रूप में देय होगा जो विधिवत संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना के पदनाम से प्रतिज्ञित होना अनिवार्य हैं
13. जिस निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा उन्हें 50,000/– रू0 जमानत के रूप मे जमा करना होगां
14. जिस निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा, उनके द्वारा आपूर्त्ति की गई माप–तौल उपकरणों का रख–रखाव अगले पाँच वर्षों तक सुनिश्चित करना होगां इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगां
15. काली सूची अथवा आपराधिक मामले से सम्बद्व नोटरी का शपथ–पत्र देना होगा
16. सूची में संलग्न उपकरण Arrange Way में लकड़ी के बक्से में अथवा पेटी मे उपलब्ध कराना होगां
17. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में मान्य होगा जो एक साथ एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में बन्द होगां

uksV%&<u>Øekad 1]2]3]4]5]6]10]11]12]13]14 ,oa 15 ls lacaf/kr lHkh vfHkys[k fufonk esa miyC/k djkuk vko';d gS] vU;Fkk fufonk fopkj.kh; ugha gksxkA</u>

foLr`r fufonk vkea=.k lwpuk foHkkxh; oscLkbV **WWW.krishi.bih.nic.in** ij ns[kk tk ldrk gSA

la;qDr Ñf"k funs'kd&lg&fu;a=d]
eki ,oa rkSy] fcgkj] iVukA